न्यायालय नायब तहसीलदार बयाना जिला भरतपुर

पीठासीन अधिकारी – मानवेन्द्र जायसवाल

किस्म मुकदमा :– राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

मिसल संख्या	तारीख रजू	निर्णय दिनांक
17 / 2020	31.08.2020	10.09.2020

निर्णय

राजस्थान सरकार

बनाम्

श्री मंशो पुत्र जुगल गुर्जर निवासी महमदपुरा तह0 बयाना जिला भरतपुर

पत्रावली आज मुकाम तहसील कार्यालय बयाना मे वास्ते निर्णय पेश हुई । संक्षेप मे प्रकरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का द्वारा भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है कि श्री मंशो पुत्र जुगल गुर्जर निवासी महमदपुरा तह0 बयाना जिला भरतपुर ने ग्राम महमदपुरा तहसील बयाना की गै.मु.रास्ता की भूमि आराजी खसरा नम्बर 338, 339 मे रकबा 0.02 हैक्ट भूमि पर फसल खरीफ सम्बत 2077 मे अनाधिकृत रूप से बाउन्ड्रीबाल व पक्का निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया है । इसलिये अतिचारी के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जावे।

रिपोर्ट पटवारी हल्का प्राप्त होने पर मुकदमा दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को भू राजस्व अधिनियम 1956 के नियम 91 के तहत दिनांक 10.09.2020 को मुकाम तहसील कार्यालय बयाना उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी कर नोटिस की विधिवत तामील कराई गई। नियत तिथि को गैर सायल ने उपस्थित होकर अपना जबाब पेश किया तथा अपने जबाब में अतिकमी द्वारा किसी भी प्रकार की सरकारी भूमि पर कोई कब्जा नही किया जाना बताया गया तथा सीमाज्ञान कराकर सरकारी भूमि को अपना कब्जा छोडने का निवेदन किया है। जिसकी जॉच भू.अ.निरीक्षक से करवाई गई। भू.अ.निरीक्षक की जॉच रिपोर्ट में अतिकमी का मौके पर कब्जा बताया गया है। अतिकमी द्वारा उक्त अतिकमण के सम्बन्ध में कोई भी ऐसा साक्ष्य एवं सबूत पेश नही किया गया जिससे यह माना जा सके कि उसके द्वारा किया गया अतिकमण वैधानिक है।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि गैर सायल ने फसल खरीफ सम्बत 2077 मे उक्त राजकीय भूमि पर अवैध कब्जा करके भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का उल्लंघन किया है इसलिये गैर सायल को अतिकमी घोषित किया जाता है।

अतः फसल खरीफ सम्बत 2077 मे अतिचारी श्री मंशो पुत्र जुगल गुर्जर निवासी महमदपुरा तह0 बयाना जिला भरतपुर तहसील बयाना का ग्राम महमदपुरा तहसील बयाना की गै.मु.रास्ता की भूमि खसरा नम्बर 338, 339 मे रकबा 0.02 हैक्ट भूमि पर अतिकमण सिद्ध होने से गैर सायल पर लगान राशि 0.32 रूपये का 50 गुना राशि 16 रूपये की शास्ती आरोपित की जाकर मोके से बेदखल कर फसल एवं अन्य साम्रगी आदि को कुर्क कर निलाम करने के आदेश दिये जाते है

निर्णय अनुसार बेदखली ,फसल एवं सामग्री जप्ती ,नीलामी एवं वसूली हेतु सम्बन्धित भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का को तथा मॉग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार बयाना को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तामील दाखिल दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 10.09.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

नायब तहसीलदार
बयाना (भरतपुर)